

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

26/7

वस हुक्म

प्रतिवादी

नोटिस

को पेश हुआ

संख्या/संख्या/संख्या

10/8/22

[Signature]

जज

10/8/22 परभावकी कैसा इतिवदिका
की कोर काय चदन किउ
ने वकालतनाका प्रथम किउ
इतिवदिका कोर किउ
उक्त शपथ पर प्रथम
वकालतनी गरी
निर्णय प्रथम से किउ
आका शामिल किउ किउ
गरी

परभावकी प्रथम मुकाम
दालिद मुकाम को

[Signature]

मुकदमा नम्बर

U.T-13
[Signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:- राजकेश मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 130/2022

वादी:- नारायणसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह, जाति राजपूत, निवासी खाबड़ा कला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. हनुमानदान पुत्र श्री शुभकरण
2. मदनदान पुत्र श्री शुभकरण
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री शुभकरण
जाति चारण, निवासी बेहचारणान
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
4. श्रीमान् तहसीलदार, ओसियां।

उपस्थित -

वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से - अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

--:निर्णय:-

दिनांक:- 10/8/2022

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि-वादी की खरीद सुदा जमीन ग्राम खाबड़ा कला की सरहद में खसरा नम्बर 172/3 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा यानि 3.6664 हैक्टेयर में से रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 172/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.2221 हैक्टेयर में से रकबा 01 बिस्वा जमीन इस प्रकार कुल 4 बिस्वा जमीन कृषि प्रयोजनार्थ रास्ता हेतु दिनांक 01.5.2013 को जर खरीद कर कब्जा सुदा आई हुई है जिसका बेचाननामा वादी के हक में पंजीयन सुदा है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता श्री शुभकरण के नाम से खातेदारी में दर्ज थी जिनसे वादी द्वारा पद संख्या 1 में वर्णित अनुसार भूमि अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए रास्ते के उपयोग हेतु खरीद की थी तथा तत्कालीन हल्का पटवारी को बेचान नामा की फोटो प्रति म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु दे दी। उस समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में आपका नाम दर्ज कर दिया जायेगा तथा वादी इसी विश्वास रहा कि उक्त बेचान नामा के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो जायेगा। जबकि उक्त भूमि का बेचान नामे अनुसार म्यूटेशन दर्ज नहीं किया गया तत्पश्चात् विक्रेता शुभकरण का देहान्त हो गया तथा शुभकरण के देहान्त के बाद वादी की खरीद सुदा भूमि जो शुभकरण के नाम से ही दर्ज थी उसका फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर दिये तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। वादी को अपनी खरीद सुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20.02.2022 को वादी को बताया कि न्यायालय श्रीमान् सहायक कलक्टर महोदय ओसियां में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। वादग्रस्त भूमि में वादी का विधि अनुसार 4 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा के खरीद की हुई है तथा उक्त भूमि का वक्त खरीद से आज दिन तक कब्जा वादी का चला आ रहा है। बेचान नामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया हुआ है जिस कारण से वादी उक्त बेचान नामा के अनुसार अपनी खरीद सुदा 4 बिस्वा भूमि अपने नाम से घोषणा करवाने का



[Handwritten signature]
राजस्व कलक्टर, ओसियां


अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में से 4 बिस्वा भूमि वादी की खरीद सुदा भूमि है तथा उक्त भूमि का कब्जा वादी के पास होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष में बनता है यदि प्रतिवादीगण वादी को राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के अनुसार बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नहीं की जा सकती तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 172/3 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा यानि 3.6664 हैक्टेयर में से रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 172/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.2221 हैक्टेयर में से रकबा 01 बिस्वा जमीन इस प्रकार कुल 4 बिस्वा भूमि पर बेचान दस्तावेज के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें तथा इस आषय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण वादी के हक अधिकार व कब्जा सुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

वादी का उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी ने वकालत नामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में फ़ैसला होने की सहमति दी।


बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ग्राम खाबड़ा कला के खसरा नम्बर 172/3 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा यानि 3.6664 हैक्टेयर में से रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 172/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.2221 हैक्टेयर में से रकबा 01 बिस्वा जमीन इस प्रकार कुल 4 बिस्वा भूमि वादी की खरीद सुदा भूमि है जो कृषि भूमि के रास्ता हेतु खरीद हुई है जिसका नामान्तरकरण दर्ज किया जाना शेष है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:-

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खाबड़ा कला के खसरा नम्बर 172/3 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा यानि 3.6664 हैक्टेयर में से रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 172/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा यानि 1.2221 हैक्टेयर में से रकबा 01 बिस्वा जमीन इस प्रकार कुल 4 बिस्वा भूमि जो वादी की खरीद सुदा है जो कृषि भूमि के रास्ते हेतु खरीद की गई है, जिसमें वादी को खातेदार घोषित किया जाता है, इसी आषय की डिक्री जारी हो पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 10/8/2022 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां